जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.01.2024

थाना कोतवाली शामली

एसओजी टीम एवं थाना कोतवाली शामली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में कोतवाली शामली, कांधला, आदर्शमण्डी व थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए चोरी की घटनाओं में शामिल 02 चोर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक साथी आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में हुआ घायल तथा चोरी का सामान खरीदने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई नगदी, जेवरात व अवैध हथियार मय जिन्दा व खोखा कारतूस एवं चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामदः-

दिनांक 17/26.01.2024 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा मोहल्ला दयानन्दनगर में 02 घरों में घुसकर चोरी की घटनाऐं की गई थी। घटना के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किये गये थे। घटनाओं की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटनाओ के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे। थाना कोतवाली पुलिस, सर्विलांस व एसओजी टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये घटनास्थल के आसपास जानकारी करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये थे तथा साक्ष्यों के आधार पर लगातार अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 31.01.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में एसओजी टीम एवं थाना कोतवाली शामली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बंद मकानों में रात्री में चोरी करने वाले अभियुक्तगण चोरी के माल को बेचने के लिए स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट से सिम्भालका बाईपास से होकर मेरठ जा रहे हैं। सूचना पर एसओजी टीम एवं थाना कोतवाली शामली की संयुक्त कार्यवाही में कोतवाली शामली, कांधला, आदर्शमण्डी व थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए चोरी की घटनाओं में शामिल 02 चोरों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उनका एक साथी आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल हो गया, गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की गई नगदी, जेवरात व अवैध हथियार मय जिन्दा/खोखा कारतूस एवं चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्तगण की निशादेही पर चोरी का सामान खरीदने वाले 01 अभियुक्त को चोरी के आभूषण व नगदी सहित मोहल्ला तारपुरी से गिरफ्तार किया गया है। घटना में संलिप्त 01 अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जायेगी। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना करने का उद्देश्यः- अभियुक्त शहजाद उपरोक्त ने बताया कि कई साल पहले मेरी मुलाकात मौहम्मद समयदीन उर्फ सम्मा पुत्र मेहरदीन नि0मौ0 नई बस्ती थाना कॉधला जनपद शामली से हुई वह अपने परिवार के साथ कर्नाटक आता-जाता रहता था। अभी करीब तीन चार महिने पहले समयदीन कर्नाटक से आया। खर्चे व शौक पूरे करने के लिए मैने व समयदीन ने बन्द पड़े मकानों व दुकानों में थाना कोतवाली, आदर्शमण्डी, थानाभवन व कांधला में अलग-अलग स्थानों पर चोरियां की, जिससे हमें काफी सोना चादी के आभूषण व नकदी मिली थी। नकदी को हम दोनो ने आपस में बॉट लिया था। चोरी किये गये आभूषणो को हम सलमान पुत्र तोफीक निवासी मौ0 तारापुरी आरामशीन वाली गली थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ को बेच देते थे। हम दोनों कर्नाटक में घटना करने के बाद यू0पी0 आ जाते थे तथा यू0पी0 में घटना करने के बाद हमें कोई पकड ना सके वापस कर्नाटक चले जाते थे।

नाम व पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.मौहम्मद समयदीन उर्फ सम्मा पुत्र मेहरदीन निवासी मौ0 नई बस्ती थाना कांधला जनपद शामली (घायल)।

2.शहजाद पुत्र इन्तजार निवासी मौवासी ईदगाह कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.सलमान पुत्र तोफीक निवासी मौ0 तारापुरी आरामशीन वाली गली थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ(चोरी के सामान का खरीदार)

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किये गये आभूषण सफेद धातु के सिक्के, पायल व पीली धातु की चैन, बांलियां आदि

2.चोरी की गई नगदी कुल 39000/- (सम्बन्धित थाना कोतवाली, आ0मण्डी, कांधला व थानाभवन)

3.चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त स्प्लेंडर मो0सा0 बिना नम्बर (चैचिस नंबर MBLHA10CGGHJ71246 तथा इंजन नंबर HA10ERCHJ60086)

4.अवैध 02 तमंचा मय 02 खोखा/03 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त समयदीन उपरोक्तः-

1. मु0अ0स0 235/2023 धारा 380/411 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.मु0अ0स0 527/2023 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

3.मु0अ0स0 558/2023 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

4.मु0अ0स0 589/2023 धारा 457/380/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली

5.मु0अ0स0 20/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

6.मु0अ0स0 40/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

7.मु0अ0स0 350/23 धारा 457,380,411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

8.मु0अ0स0 397/23 धारा 457,380,411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

9.मु0अ0स0 401/23 धारा 457,380,411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

10.मु0अ0स0 426/23 धारा 457,380,411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

11.मु0अ0सं0 317/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।

12.मु0अ0सं0 318/20 धारा 414 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

13.मु0अ0सं0 370/20 धारा 398,401 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

14.मु0अ0सं0 372/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शहजाद उपरोक्तः-

1. मु0अ0स0 235/2023 धारा 380/411 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.मु0अ0स0 527/2023 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

3.मु0अ0स0 558/2023 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

4.मु0अ0स0 589/2023 धारा 457/380/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली

5.मु0अ0स0 20/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

6.मु0अ0स0 40/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

7.मु0अ0स0 350/23 धारा 457,380,411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

8.मु0अ0स0 397/23 धारा 457,380,411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

9.मु0अ0स0 401/23 धारा 457,380,411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

10.मु0अ0स0 426/23 धारा 457,380,411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

11.मु0अ0सं0 372/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.थानाध्यक्ष श्री समयपाल अत्री थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.उ0नि0 रणवीर सिंह थाना कोतवाली जनपद शामली।

3.एसओजी टीम प्रभारी उ0नि0 श्री राहुल सिसोदिया जनपद शामली।

4.उ0नि0 कुलदीप सिंह एसओजी टीम जनपद शामली।

5.है0का0 594 सोहित कुमार थाना कोतवाली जनपद शामली।

6.हे0का0 ललित शर्मा एसओजी टीम जनपद शामली।

7.का0 अमित सांगवान थाना कोतवाली जनपद शामली।

8.का0 मनीष कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।

9.का0 शादाब एसओजी टीम जनपद शामली।

10.का0 रोहित एसओजी टीम जनपद शामली।

11.का0 अनुज कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई 08 माह के कारावास की सजा व 3500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

वर्ष 2023 में अभियुक्त 1.साहिल पुत्र राजेश निवासी ग्राम कुराड़ा थाना सनौली जनपद पानीपत के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 319/2023 धारा 414,465 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 31.01.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 414,465 भादवि में सुनाई 08 माह के कारावास की सजा व 3500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.साहिल पुत्र राजेश निवासी ग्राम कुराड़ा थाना सनौली जनपद पानीपत (हरियाणा)।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI